

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोत्त

पीठासन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :- 205/2020

- प्रार्थीगण :-
1. पारसमल पुत्र शंकरलाल
 2. चतरसिंह पुत्रशंकरलाल
 3. हवाकंवर बेवाशंकरलाल जाति पुरोहित
- सभी निवासीयान सराणा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर (राज)
बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. शंकरराम पुत्र जयरामराम
2. हीराराम पुत्र जयरामराम
3. फौजाराम पुत्र जयरामराम
4. देवाराम पुत्र जयरामराम
5. जीवाराम पुत्र जयरामराम
6. बुधाराम पुत्र जगाराम सभी जातियान मेगवाल
7. मैनेजर एस बी आई बैंक शाखा आसोतरा
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आर.टी.ए. (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

उपस्थित :- 1. श्री प्रार्थीगण करणसिंह सोलकी
आदेश

दिनांक :- 27.12.2021

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए. एक्ट के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर व्यक्त किया है, कि मौजा सराणा पटवार क्षेत्र सराणा तहसील पचपदरा में प्रार्थीगण अपने खातेदारी खेत खसरा नंबर 970/365 रकबा 6-10 बीघा मे से खसरा संख्या 973/367 रकबा 11-15 बीघा तक चौडा 13 फीट (2) गटटा) भूमि तक प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये गये हिस्से ए से बी बरंग लाल, अनुसार आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता घोषित कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया विप्रार्थी संख्या एवं तहसीलदार पचपदरा से मौके की स्थिति की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहरीर जारी की गयी तहसीलदार पचपदरा के पत्र संख्या राजस्व/2020/2028 दिनांक 3.12.2021 से पालना रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार पचपदरा के द्वारा मौका रिपोर्ट में जाहिर किया गया कि मौजा सराणा के खेत खसरा न0 973/367 रकबा 11-15 बीघा आवेदक के नाम खातेदारी भूमि है जिसमे आवागमन हेतु खसरा न0 970/365 रकबा 6-10 बीघा मे से रास्ते हेतु भुमि प्रस्तावित की है जो अधिक निकट एवं उपयुक्त है। जो प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि नहीं है। जिसका रकबा 0-07 बीघा भूमि बनती है। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी दर 56430/-रूपये प्रति बीघा है। मौके पर 13 फीट के रास्ते हेतु कुल रकबा 0-07 भूमि बनती है।

प्रार्थीगण एवं राजकीय पेरोकार को सुना गया, प्रार्थीगण ने तहसीलदार पचपदरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 30.11.2021 के अनुसार रास्ता आवागमन के

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी



प्रार्थीगण एवं राजकीय पेरोकार को सुना गया, प्रार्थीगण ने तहसीलदार पचपदरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 30.11.2021 के अनुसार रास्ता आवागमन के लिए प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने के लिए निवेदन किया गया तथा पेरोकार सरकार ने भी तहसीलदार, पचपदरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता प्रार्थीगण से नियमानुसार डीएलसी रेट की देय दुगनी राशि जमा कराने पर दिया जाता है, तो कोई आपत्ति नहीं है। हमने पत्रावली का गहराई से अवलोकन किया व अध्ययन किया गया। प्रार्थीगण के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार एवं तहसीलदार पचपदरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 30.11.2021 के अनुसार खसरा नंबर 973/367 रकबा 11-15 बीघा प्रार्थी के मौजा सराणा के खसरा संख्या 970/365 रकबा 6-10 बीघा में से आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता घोषित करने हेतु 13 फीट चौड़ा रास्ता प्राप्त करने हेतु नक्शा मानचित्र पुस्त पर अंकित बरंग लाल के अनुसार अवलोकन किया गया। इसके अलावा प्रार्थीगण के आवागमन के लिए अन्य कोई विकल्प में रास्ता उपलब्ध नहीं है। तहसीलदार, पचपदरा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रकरण में मौका एवं रेकार्ड से जाच की गई। रास्ते की स्थिति रिपोर्ट की पुस्त पर अंकित नजरी मानचित्र में दर्शाए गये अनुसार है। चूंकि प्रार्थीगण खातेदार टिनेन्ट है जिसको कृषि कार्य व आवागमन के उपयोग हेतु चाहा गया है। इस संबंध में सयुक्त शासन सचिव, राजस्व (गुप-6) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.3(52) राज-6/12/4 दिनांक 14.06.2013 के द्वारा राजकीय भूमि में से रास्ते के लिए प्रावधान धारा 251 ए रा.क.अ में प्रावधित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के आवेदन पत्र को स्वीकार किये जाने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन आधार पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार कर खसरा नंबर 973/367 रकबा 11-15 बीघा प्रार्थी के मौजा सराणा के खसरा संख्या 970/365 रकबा 6-10 बीघा में से आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु तहसीलदार पचपदरा से प्राप्त फर्द मौका दिनांक 30.11.2021 में चिन्हित बरंग लाल, के अनुसार रकबा 0-07 बीघा भूमि रास्ता स्वीकृत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रार्थीगण इस हेतु डी.एल.सी रेट 56430/- प्रति बीघा निर्धारित है, जिसके अनुसार रास्ते के लिए प्रस्तावित रकबा 0-07 प्रभावित भूमि की राशि 19765 रुपये की नियमानुसार देय दुगनी क्षतिपूर्ति के रूप में राशि रुपये 39530/- रुपये राज्य सरकार के खाते में तहसीलदार पचपदरा के कार्यालय में जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें। राशि जमा होने पर ही तहसीलदार पचपदरा नियमानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। मौका रिपोर्ट दिनांक 30.11.2021 में चिन्हित किया गया नक्शा इस निर्णय भाग समझ कर साथ पढा जाए।

आदेश आज दिनांक 27.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश श्रीवा)
 उपखण्ड अधिकारी
 बालोतरा
 बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
 (नरेश श्रीवा)
 उपखण्ड अधिकारी
 बालोतरा

